डी0के0 सिंह, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 24.06.2019 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित लामबगड़ (नैलबैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.4165 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या :–

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज, श्री मदन सिंह बिष्ट, वन दरोगा एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग से श्री नीरज कुमार काण्डपाल, सहायक अभियन्ता, श्री चन्द्र भूषण, कनिष्ठ अभियन्ता साथ में रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः–

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः–

1. वैकल्पिक संरेखण की तुलना में इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
2. यह संरेखण भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान लामबगड़ (नैलबैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज प्रजाति के 0–10 व्यास वर्ग की 162 पौध एवं 28 वृक्ष तथा अन्य प्रजातियों के 311 वृक्षों सहित कुल 501 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।

P.T.O.

2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

(डी0के0 सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 3625 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग।

(डी0के0 सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

P.T.O.

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित लामबगड़ (नैलबैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.4165 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 24.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज, श्री मदन सिंह बिष्ट, वन दरोगा एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग से श्री नीरज कुमार काण्डपाल, सहायक अभियन्ता, श्री चन्द्र भूषण, कनिष्ठ अभियन्ता साथ में रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 25/06/2019
स्थान–गोपेश्वर।

(डी0के0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।